यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—75/2018/223 (2018/00075)

1. श्रीमती गणपति बेवा स्व0 बलवंतसिंह उर्फ बलवीरसिंह,
2. नारायण सिंह पुत्र स्व0 बलवंतसिंह उर्फ बलवरीसिंह,
3. कु0 नीतू, आयु 17 वर्ष पुत्री स्व0 बलवंतसिंह उर्फ बलवीरसिंह,
4. राहुलसिंह आयु 14 वर्ष पुत्र स्व0 बलवंतसिंह उर्फ बलवीरसिंह,
   अपीलांट संख्या 3 व 4 नाबालिगान जरये नैक्स्ट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमती गणपति बेवा स्व0 बलवंतसिंह उर्फ बलवीरसिंह, जाति रावत, नि0 भीलातों का बाड़िया (पाली बॉर्डर के पास), तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. पांचूसिंह पुत्र स्व0 बालूसिंह,
6. श्रीमती सोहनी बेवा गोविन्दसिंह पुत्री बालूसिंह,
7. श्रवणसिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग पुत्र स्व0 गोविन्दसिंह,
8. कु0 पिंकी उम्र 17 वर्ष पुत्री स्व0 गोविन्दसिंह,
9. कु0 शारदा उम्र 16 साल पुत्री स्व0 गोविन्दसिंह,
   नाबालिगान जरिये नैक्स्ट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमती सोहनी बेवा गोविन्दसिंह पुत्री बालूसिंह, जाति रावत, निवासी भीलातों का बाडिया, (पाली बॉर्डर के पास) तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती रूपी उर्फ रूपावती बेवा स्व0 चतरसिंह,
2. हरदेवसिंह पुत्र स्व0 चतरसिंह,
3. जसवंतसिंह पुत्र अशोकसिंह, उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड श्रीमती रूपी उर्फ रूपावती अप्रार्थी संख्या 1/वादिया संख्या 1 दादी कुदरती वली ।
4. श्रीमती जसोदा पत्नि स्व0 राजनसिंह,
5. जगदीश पुत्र स्व0 राजनसिंह,
   समस्त निवासी भीलातों का बाड़िया (पाली बॉर्डर के पास) तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 राजनसिंह पत्नि सुखदेवसिंह, जाति रावत, निवासी नरबदखेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 राजनसिंह पत्नि नारायणसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम किशनापुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 राजनसिंह पत्नि संजयसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम सरवीना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. मोहनसिंह पुत्र भगवानसिंह,
10. नरेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह,
    जाति रावत, नि0 भीलातों का बाड़िया (पाली बॉर्डर के पास) तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
12. सब रजिस्ट्रार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

13. नाथूसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति रावत,
14. रमेश पुत्र राजनसिंह रावत,
    नि0 भीलातों का बाडिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 5.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 39/2012.

उपस्थितः—

1. श्री चंद्रदेव सांखला, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 10
3. रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 9 एवं 13 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 व 12.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा अधी0न्याया0 में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाडिया जग्गा, पटवार क्षैत्र जालिया, तह0 ब्यावर में स्थित भूमि खसरा नंबर 253, 274 व 275 की भूमियां स्व0 बालूसिंह, स्व0 चतरसिंह, स्व0 भगवानसिंह पिसरान मोटासिंह के कब्जे काश्त में होने के आधार पर उक्त भूमियां बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने नाम खातेदारी हांसिल करने हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 द्वारा स्वीकार कर वादीगण का विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 व 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री बिना प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये व उनके द्वारा कोई भी राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत किये बिना ही गैर कानूनी तरीके से उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति, सुनवाई, राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही कोई प्रकरण निर्णित किया जा सकता है लेकिन राजस्व कैम्प प्रभारी द्वारा गैर कानूनी तरीके से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 नाथूसिंह द्वारा वादीगण से सांठ—गांठ कर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया । उक्त राजीनामा से शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8/अपीलांटस कत्तई पाबंद नहीं थे । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस के पिता की तन्हा खातेदारी की भूमिया थी जो जरिये विरासत अपीलांटस को प्राप्त हुई है । इन भूमियों में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 न तो खातेदार थे, न ही सहखातेदार थे । इस कारण

उनके पक्ष में उक्त राजस्व कैम्प गैर कानूनी तरीके से बंटवारा की प्रारंभिक डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में पक्षकारों के मध्य जो खातेदारी विवाद था उसे तनकियात कायम किया जाकर व साक्ष्य ली जाकर ही प्रकरण को निर्णित किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर सरसरी तौर पर वादीगण का वाद डिक्री किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उक्त प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती फूंदी पत्नि बालूसिंह का देहांत हो चुका था जिस बाबत् न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.4.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था लेकिन स्व0 श्रीमती फूंदी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र पर को अनिर्णित रखते हुए वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है जबकि वादीगण का वाद अबेट हो चुका था । बहस में आगे कथन किया कि राजसव कैम्प दिनांक 5.6.2017 को अपीलांटस द्वारा फूंदी के अन्य वारिसान उनकी पुत्रियां होने बाबत् जानकारी अधी0न्याया0 के अधिवक्ता वादीगण को दे दी थी, इस पर उक्त दिनांक अपीलांटस का ऐतराज स्वीकार कर प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 7.8.2017 नियत कर दी थी और उस पर अपीलांटस पांचू द्वारा भी राजस्व कैम्प में तारीख पेशी लेने बाबत् हस्ताक्षर कर दिये थे लेकिन बाद में उक्त आदेशिका में अपीलांटस की गैर मौजूदगी में बिना उनके कोई राजीनामा रिकार्ड पर रखे व सहमति व स्वीकृति दिये उक्त राजीनामा में वादी का वाद स्वीकार करने की आदेशिका जारी कर इस कारण भी निर्णय व प्रारंभिक डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 5.6.2017 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प जालिया प्रथम में दिनांक 5.6.2017 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को बिना सुनवाई एवं जवाब का अवसर दिये वाद डिक्री किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलांटस को कैम्प में आगामी तारीख पेशी दिनाक 7.8.2017 नोट करवाई थी लेकिन उक्त दिनांक को अवकाश होने पर दिनांक 8.8.2017 को पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत हुई । उक्त दिनांक पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशी दिनांक 25.9.2017 नियत की गई तत्पश्चात् दिनांक 15.11.2017, 5.12.2017 नियत की गई लेकिन उक्त तारीख पेशियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । दिनांक 17.1.2018 को प्रकरण में न्यायालय में सुनवाई के दौरान उक्त तथाकथित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री की जानकारी अपीलांटस को हुई जिस पर उनके द्वारा तारीख पेशी दिनांक 23.1.2018 को उक्त निर्णय व डिक्री बाबत् आपत्ति पेश की गई और निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया । दिनांक 9.3.20158 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 10 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 व 12 ने बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री बिना प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये व उनके द्वारा कोई भी राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत किये बिना ही गैर कानूनी तरीके से उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति, सुनवाई, राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही कोई प्रकरण निर्णित किया जा सकता है लेकिन राजस्व कैम्प प्रभारी द्वारा गैर कानूनी तरीके से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 नाथूसिंह द्वारा वादीगण से सांठ–गांठ कर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया । उक्त राजीनामा से शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8/अपीलांटस कत्तई पाबंद नहीं थे । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 लगायत 5 का निर्णय बिना साक्ष्य व दस्तावेजात प्रदर्शित कराये किया है जिसे विधिसंगत नही माना जा सकता है । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि लोक अदालत कैम्प में केवल उन्हीं प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है कि जिनमें समस्त पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के इंकार किया जा रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 5.6.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में सभी पक्षकारों से जवाब, साक्ष्य, सबूत लेकर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर